सं०सं०—03/परी०—B.T.S.C.—(विविध)06—23/2024...3360 पटना, दिनांक:—30/10/2024

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०—01/2019 कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पदों पर चयन के संबंध में।

Civil Appeal No.-18802/2017, Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch Bihar Vrs. State of Bihar में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश एवं तदालोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक—11/आ०—न्याय—73/2024 12679/सा०प्र० दिनांक—12.08.2024 द्वारा बिहार गजट में प्रकाशित परिपत्र के अनुसार तांती (ततवा) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची—1) के क्रमांक—33 पर पुनर्स्थापित किया गया है।

विज्ञापन सं०—01/2019 में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों, जिन्होंने अपने Online आवेदन में अनुसूचित जाति आरक्षण कोटि के अधीन पान/स्वासी/पानर जाति का दावा करते हुए जाति प्रमाण—पत्र समर्पित किया था; के द्वारा सक्षम प्राधिकार के स्तर से **दिनांक—12.08.2024 के बाद नये सिरे से निर्गत** जाति प्रमाण—पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र समर्पित किया जाना अपेक्षित है। इस क्रम में निदेशित किया जाता है कि—:

1. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटि के अन्तर्गत तांती (ततवा) जाति के अभ्यर्थीगण सक्षम प्राधिकार के स्तर से **दिनांक—12.08.2024 के बाद निर्गत** क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र आयोग के Portal पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।
2. साथ ही, वैसे सभी अभ्यर्थीगण जो पान/स्वासी/पानर जाति से आते हैं, नये सिरे से सक्षम प्राधिकार के स्तर से **दिनांक—12.08.2024 के बाद निर्गत** अनुसूचित जाति का प्रमाण—पत्र आयोग के Portal पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

आयोग का Portal खुलने का समय एवं तिथि के संबंध में पृथक रूप से सूचना शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। आयोग द्वारा निर्धारित अवधि तक क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र एवं अनुसूचित जाति का प्रमाण—पत्र **(जो लागू हो)** Upload नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

नोट:— Online Portal के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से यथा—E-mail/रजिस्टर्ड पोस्ट/कुरियर/आयोग कार्यालय में प्रमाण—पत्र जमा करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

30.10.2024

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।